

अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष प्रबंधन से अभिप्राय है राजनैतिक वैधानिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो कि राज्यों के पास उपलब्ध भी है और राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उसका उपयोग भी करते हैं ताकि संघर्ष का प्रबंधन किया जा सके। इसमें कभी-कभी बल प्रयोग या युद्ध से कम बल प्रयोग, उत्पीड़न राजनय और प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल होते हैं। इनका प्रयास होता है संघर्ष में कमी करना उससे उत्पन्न कष्ट कम करना और उनमें फेरबदल करना। इन उपायों में शामिल हैं, संधियां, विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रक्रियाएं, निरस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण तथा सामान्य रूप से शांति निर्वहन के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग। संसार के सशस्त्र संघर्ष प्रायः क्षेत्रों या संसाधनों की प्राप्ति के लिए, वर्चस्व के लिए, ऐतिहासिक शत्रुता के कारण या आत्मसम्मान अथवा विस्तार वादी पहचान के लिए होते रहते हैं। राज्यों के मध्य संघर्ष के लिए कुछ उत्तरदाई कुछ बुनियादी कारणों को दूर करके संघर्ष का प्रबंधन किया जा सकता है। जहां 19वीं शताब्दी में संघर्ष के उपचार के रूप में शक्ति संतुलन के सिद्धांत का विकास हुआ वही बीसवीं शताब्दी में संस्थागत और वैधानिक उपक्रमों का विकास हुआ था कि संघर्ष का प्रबंधन किया जा सके। संघर्ष और तनाव एक ही स्थिति के नाम नहीं हैं तनाव में छिपी हुई या गुप्त शत्रुता एक दूसरे पर शंका इत्यादि शामिल होते हैं परंतु उनका प्रत्यक्ष विरोध नहीं होता परंतु प्रायः तनाव के बाद ही संघर्ष उत्पन्न होते हैं अर्थात् तनाव संघर्ष का प्रथम चरण होता है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष राज्यों के मध्य होते हैं परंतु इन राज्यों के नेतागण इन संघर्षों की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। जो संघर्ष राज्यों में आंतरिक रूप से प्रकट होते हैं वे क्रांति, सैनिक तख्तापलट, नागरिकों की अव्यवस्था तथा आतंकवाद इत्यादि के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। मोटे तौर पर संघर्ष के विभिन्न सिद्धांतों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम विश्व की मानव स्वभाव को संघर्ष का आधार मानते हैं। दूसरे जो कि राज्यों की आंतरिक विशेषताओं, सरकार का रूप, जातीय विविधता, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, आकार तथा विचारधारा इत्यादि को संघर्ष के लिए उत्तरदाई मानते हैं। अंत में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि संघर्ष का कारण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में युद्ध और शांति के चक्र को मानते हैं। संघर्ष प्रबंधन या समाधान के लिए आवश्यक है कि संघर्ष को समझा जाए और उसकी समीक्षा की जाए। संघर्ष के समाधान की व्यवस्था नयी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उन उपायों का उल्लेख है जिनके द्वारा राज्यों के मध्य संघर्षों को सुलझाया जा सकता है। अनुच्छेद 51 में राज्यों के मध्य संघर्ष को निपटाने के कुछ उपायों का उल्लेख है। कोई सरकार जो संघर्ष रोकना चाहती है उसे एक तरफा रियायत दें या समझौते के संकेत देने चाहिए। वह ऐसे रियायत हों की जिनका विरोधी पक्ष भी स्वागत करें या उनको स्वीकार करें। इन राज्यों को इन उपायों को अभिप्राय विश्वास स्थापित करने वाले उपाय या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जाता है। विरोधियों द्वारा उठाए गए इन कदमों के द्वारा संघर्ष कम या समाप्त किए जा सकते हैं। कभी-कभी कोई आक्रामक देश दूसरे देश की ऐसी पहल को शक्तिहीनता का चिन्ह मान बैठता है। तुष्टिकरण का प्रयास कहकर इसकी अवहेलना कर सकता है। या फिर उसके विरुद्ध विरोधी की ओर से अधिक शक्ति प्रदर्शन कर संघर्ष बढ़ाया जा सकता है। आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विश्व में संघर्ष समाधान के नए और बेहतर उपलाई उपलब्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सभी संघर्ष समाधान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विवाद की उत्पत्ति उन देशों के बीच ज्यादा होती है जिन में युद्ध आरंभ करने की क्षमता होती है। जहां राज्यों के हितों में संघर्ष हो उसी स्थिति में युद्ध अनेक में से एक विकल्प होता है। जिसके द्वारा संघर्ष या विवाद का समाधान तलाश किया जा सकता है। संघर्ष समाधान के कुछ अन्य उपाय हैं - समझौता वार्ता सुलह करवाना, मध्यस्थता, पंच निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया। समझौता वार्ता संघर्षरत राज्यों के बीच वार्ता या तो द्विपक्षीय होती है या फिर बहुपक्षीय भी हो सकती है यह वार्ताएं संबंध राज्यों के मध्य बातचीत अथवा राज्याध्यक्षों, शासनआध्यक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। या फिर उन देशों के राजदूतों अथवा विशेष प्रतिनिधियों के बीच हो सकती है। जिन राज्यों के मध्य टकराव है उनके बीच में वार्ता अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से भी हो सकती है। मध्यस्थता यानी दोनों के लिए एक तीसरे मित्र पक्ष की आवश्यकता जो विवाद सुलझाने के लिए अपनी सहायता दे सकता है। मध्यस्थता का प्रस्ताव या सुझाव करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या राज्य या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन। मध्यस्थता और सदासयता में अंतर मामूली सा ही होता है सदासयता जिसे गुड ऑफिस भी कहते हैं में कोई तीसरा पक्ष विवाद में फंसे दोनों पक्षों को एक मंच पर लाकर समझौते का सुझाव देता है। परंतु वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से समझौता वार्ता में शामिल नहीं होता है। मध्यस्थता में मध्यस्थ की भूमिका अधिक सक्रिय होती है जिसमें वह स्वयं वार्ता में शामिल होकर शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर सकता है। सुलह कराने की प्रक्रिया में जांच और मध्यस्थता दोनों शामिल होते हैं। सुलह कराने की प्रक्रिया में अनेक उपाय उपयोग में लाए जा सकते हैं ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाश किया जा सके। इसमें प्रयुक्त तथ्यों की जांच के

पश्चात विवाद समाधान के सुझाव दिए जाते हैं ताकि विरोधी विचारों में सुलह करवाई जा सके। पंच निर्णय में विवाद कुछ ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो कि पंच कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को दोनों पक्ष स्वेच्छा से चुनते हैं। वह अपना निर्णय देने में किसी कानूनी बांधा से नहीं होते परंतु कभी-कभी ऐसे विवाद भी पंच निर्णय के लिए भेजे जाते हैं जिनमें मात्र कानूनी मुद्दे शामिल होते हैं। पंच निर्णयों में दिए गए निर्णय अंतरराष्ट्रीय विधायन का स्रोत बने हैं। क्योंकि इनमें विविध संधियों समझौतों के प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। पंच निर्णय मूल रूप से जिस प्रक्रिया पर कार्य करता है वह प्रायः आम सहमति पर आधारित होती है। राज्यों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पंच निर्णय के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। उनकी स्वीकृति के बिना पंचों के चयन को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। मोटे तौर पर संघर्ष समाधान के लिए दो न्यायिक प्रक्रिया होती हैं यह है पंच निर्णय तथा न्यायिक निर्णय। विवादों का समाधान प्रायः अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किया जाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में न्यायाधिकरण के निर्णय संबंध पक्षों पर बाध्य होते हैं। वे उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। न्यायिक निर्णय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं यह प्रत्येक देश का संप्रभु अधिकार है कि वह न्यायिक प्रक्रिया का मार्ग अपनाय या नहीं। यह स्वैच्छिक होता है।

Dr Sharad Suman Mishra